वन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट – 2011-12

परिचय

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक ओर जहां वनों से प्रत्यक्ष रूप में हमें निरन्तर ईमारती लकड़ी, ईंधन, बरोज़ा, बांस, भब्बर घास, चारा तथा वन औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं वहीं दूसरी ओर प्रदूषण रहित वातावरण और प्राकृतिक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप में वनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रदेश के कुल 37,033 वर्ग कि0मी0 अधिसूचित वन क्षेत्र में 1,898 वर्ग कि0मी0 आरक्षित वन, 11,912 वर्ग कि0मी0 सीमांकित सुरक्षित वन तथा 23,223 वर्ग कि0मी0 असीमांकित, अवर्गीकृत व निजी वन हैं। अनुमानतः कुल 20,657 वर्ग कि0मी0 भूमि वृक्ष आच्छादित है जिसमें 9,026 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र नुकीली, 7,382 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों के अधीन है और शेष 4,249 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में वृक्ष विरले या नगण्य हैं।

विभिन्न वानिकी परियोजनाओं द्वारा इन क्षेत्रों में पौधारोपण किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा भूमि वृक्षों से ढकी जा सके। कुल अधिसूचित वन क्षेत्र में 16,376 वर्ग कि0मी0 पर्वतीय चरागाहों, चट्टानों और बर्फीली पहाड़ियों के अन्तर्गत अनुमानित है, जिसका प्रदेश के लोगों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि प्रदेश की 25 से 30 प्रतिशत् ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन चरागाहों पर आश्रित पशुओं पर निर्भर करती है।

2. वर्ष के दौरान वनों तथा वन्य प्राणी संरक्षण के अतिरिक्त जिन विषयों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया उनमें निम्नलिखित विषय मुख्य हैं :-

(क) पौधारोपित क्षेत्रों का निरीक्षण सभी स्तरों के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें वनराजिक, सहायक अरण्यपाल, वन मण्डलाधिकारी तथा अरण्यपालों के लिए निरीक्षण प्रतिशत् निर्धारित है ताकि वृक्षारोपण की सफलता का आकलन करके विफलताओं के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके। इस प्रकार का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है जिसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। वन मण्डलाधिकारियों तथा अरण्यपालों से पौधारोपण निरीक्षण की रिपोर्ट निश्चित समय पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल को भेजी जा रही है।

(ख) सुरक्षित व सीमांकित वन जिनका राजस्व रिकार्ड में उल्लेख नहीं है, का सर्वेक्षण, बन्दोबस्त व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसमें शिमला, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा व सिरमौर जिले शामिल हैं।

(ग) विभिन्न विकास पैटर्नों, पेड़ों की अरोग्यता तथा लोगों की जरूरतों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए वनों के उत्थान के लिए उपचार, प्रबन्धन और जंगलों पर जैविक दबाव से संरक्षण हेतु कार्ययोजनायें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु प्रदेश के वनों को 37 कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत लिया गया है। इन कार्ययोजनाओं को बनाने तथा अवधि समाप्त होने पर पुनः संशोधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

वर्ष 2011-12 तक 15 कार्य योजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 10 कार्ययोजनाओं को बनाकर भारत सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है तथा 12 कार्ययोजनाओं की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है और उनके संशोधन पर कार्य किया जा रहा है।

(घ) वनों के संरक्षण को अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाने हेतु जिससे उनको आग, अवैध कटान, चोरी आदि से नुकसान न हो इसके लिए विभाग ने दो वन मण्डल, उड़न-दस्ते खोल रखे हैं जो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

वन क्षेत्र पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए विभाग ने कई पग उठाए हैं। तकनीकी अवरोधों को दूर करने तथा तुरन्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से वन मण्डलाधिकारियों को कलैक्टर की शक्तियाँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमिसिज़ तथा लैण्ड इविक्शन एण्ड रैन्ट रिक्वरी एक्ट 1971, के तहत दी गई है। लकड़ी की चोरी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन मण्डलाधिकारियों और अरण्यपालों को चोरी या अवैध व्यापार में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों को जब्त करने की शक्तियाँ दी गई हैं।

(ङ) वर्ष के दौरान प्रदेश के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वानिकी तथा अन्य विषयों पर समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चायल तथा सुन्दरनगर वन प्रशिक्षण संस्थानों में, दीर्घ एवम् लघु अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अन्तर्गत 1 एच0पी0एफ0एस0 अधिकारी, 26 वन-राजिकों, 185 उप-वनराजिकों, 636 वन-रक्षकों तथा 125 अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रदेश में दो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से धन उपलब्ध करवाया गया जो इस प्रकार है :-

- **विश्व बैंक की सहायता से संचालित मध्य हिमालयन जल ग्रहण विकास परियोजनाः**

राज्य में विश्व बैंक की सहायता से कुल 365 करोड़ रुपये की लागत से 6 वर्षों में क्रियान्वित की जाने वाली मध्य हिमालयन जल ग्रहण विकास परियोजना का आरम्भ 01-10-2005 से किया गया है। परियोजना लागत का निर्वहन विश्व बैंक एवम् राज्य

सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात से किया जाएगा तथा परियोजना लागत का 10% भाग लाभार्थियों द्वारा अंशदायी होगा। यह परियोजना एकीकृत जल प्रवाह विकास परियोजना जिसे कि कण्डी परियोजना के नाम से जाना जाता है व जिसकी अवधि 30-09-2005 को समाप्त हुई है का दोहराव है। इस परियोजना के माध्यम से दस जिलों के 42 विकास खण्डों की 602 पंचायतें, जो कि 600 से 1800 मीटर की ऊँचाई के मध्य पड़ती हैं, को लिया जाएगा। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

1. प्राकृतिक संसाधनों की क्षरण की प्रक्रिया में बदलाव।
2. प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि।
3. ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि।

वर्ष 2011-12 के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत 55.00 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य रखा गया था जिसमें से मार्च, 2012 तक 54.93 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

- **स्वां नदी एकीकृत जल प्रवाह विकास परियोजना :**

जापान सरकार की सहायता से संचालित 160 करोड़ रुपये की स्वां नदी एकीकृत जल प्रवाह विकास परियोजना जून, 2006 से मार्च, 2014 तक चलाई जा रही है। इस परियोजना को वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से ऊना जिला में परिचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य वनों का पुनरोत्पादन, कृषि भूमि की सुरक्षा तथा स्वां नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में कृषि एवम् वानिकी उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके लिए स्वां नदी जल ग्रहण क्षेत्र में एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन गतिविधियां जिनमें वानिकी, भू एवम् नदी प्रबन्धन के लिए निर्माण कार्य व भू-संरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि विकास तथा लोगों की आजीविका सुधारने के लिए भी कार्य किये जा रहे हैं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

वर्ष 2011-12 के दौरान 35.00 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य रखा गया था जो वर्ष के दौरान खर्च कर दिया गया।

3. वित्तीय परिणाम

हिमाचल प्रदेश में शंकुधर वनों का उत्पादन चौड़ी पत्ती के वनों से अधिक है, परन्तु यह आवश्यक आपूर्ति के लिए अपर्याप्त है। मांग की आपूर्ति के लिए लम्बी अवधि की योजनाएं प्रदेश में वन प्रजातियों के विकास के लिए आवश्यक हैं। पिछले पांच वर्षों में वनों पर व्यय से सम्बन्धित आंकड़े निम्न हैं :-

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राजस्व	नान-प्लान व्यय	सरप्लस नान-प्लान व्यय	प्लान व्यय	कुल व्यय
2007-08	5359.78	12527.33	(-)7167.55	12637.59	25164.92
2008-09	5540.27	19174.21	(-)13633.94	12298.31	31472.52
2009-10	7211.22	21850.92	(-)14639.70	12816.57	34667.49
2010-11	6544.03	22911.25	(-)16367.22	13830.99	36742.24
2011-12	10654.48	23834.97	(-)13180.49	13872.72	37707.69

नोट :- व्यय के आंकड़ों को वन तथा भू-संरक्षण मदों को मिला कर दर्शाया गया है जिसमें राज्य और केन्द्रीय सैक्टर के प्रोग्राम शामिल हैं।

4. राजस्व

वर्ष 2011-12 में वनों से 10654.48 लाख रूपये का राजस्व अर्जित हुआ। स्त्रोत सहित तीन वर्षों का ब्योरा निम्न प्रकार से हैः-

(रुपये लाखों में)

मेजर हैड 0406 - वन राजस्व	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)
1. सरकारी एजेंसियों द्वारा जंगलों से निष्कासित इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज़	17.76	106.63	22.18
2. हिमाचल प्रदेश वन निगम सहित उपभोक्ताओं व खरीददारों द्वारा वनों से निष्कासित इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज	3076.35	3601.99	3166.91
3. प्रवाहित तथा बिखरी पड़ी लकड़ी (ड्रिफ्ट एण्ड वेफवुड)	1.09	0	0
जोड़	**3095.20**	**3708.62**	**3189.09**
4. अन्य आय i) वन्य प्राणी संरक्षण एवं पर्यावरण ii) अन्य गौण साधनों से आय।	 1.29 4114.73	 0.98 2834.43	 2.21 7463.18
जोड़	**4116.02**	**2835.41**	**7465.39**
कुल राजस्व	**7211.22**	**6544.03**	**10654.48**

5. बजट

सामान्य कार्य गैर योजना बजट के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाते हैं जबकि विकास सम्बन्धी कार्य योजना बजट के अन्तर्गत किए जाते हैं। वर्ष 2010-11 में गैर योजना पर 22911.25 लाख रुपये तथा वर्ष 2011-12 में 23834.97 लाख रुपये व्यय किये गये।

6. पौधारोपण कार्यक्रम :

वर्ष 2011-12 में विभाग द्वारा विभिन्न पौधारोपण योजनाओं के अर्न्तगत 17655 हेक्टेयर क्षेत्र में 207.60 लाख पौधे लगाए गये जिसका जिलाबार ब्योरा निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	जिला	पौधारोपित क्षेत्र (हे0)	पौधे (लाखों में)
1	बिलासपुर	597	8.52
2	चम्बा	3882	38.82
3	कांगड़ा	1615	23.40
4	कुल्लू	1400	42.95
5	मण्डी	2916	20.40
6	सिरमौर	870	18.40
7	सोलन	994	11.52
8	शिमला	920	11.18
9	हमीरपुर	332	4.19
10	लाहौल-स्पीति	482	3.74
11	किन्नौर	276	3.91
12	ऊना	3371	20.57
	कुल	**17655**	**207.60**

वर्ष के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत किए गये योजनावार पौधारोपण की भौतिक उपलब्धियों का ब्योरा निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	योजना का नाम	उपलब्धियां 31-03-2012
		भौतिक (है0)
1.	2.	3.
1	सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन	565
2	चारागाह विकास	118
3	तेरहवें वित्त आयोग के तहत संरक्षण और प्रबन्धन कार्य	1511
4	वृक्षावरण सुधार	481
5	सांझी वन योजना	26
6	चिलगोज़ा पुनर्जनन	11
7	मध्य हिमालयन जल प्रवाह परियोजना	629
8	स्वां नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना	3083
	जोड़	**6424**

7. प्रशासनिक इकाईयां तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या (31-03-2012)

इकाई	क्षेत्रीय	कार्यकारी	कुल
वृत	12	7	19
मण्डल	43	21	64
परिक्षेत्र	192	4	196

नोट :- वन प्रशिक्षण संस्थान चायल तथा सुन्दरनगर भी उपरोक्त सारणी में सम्मिलित हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

पद/श्रेणी	स्वीकृत	स्थिति में
राजपत्रित -I:		
भारतीय वन सेवा अधिकारी	106	103
राज्य वन सेवा अधिकारी	160	152
पशु चिकित्सा अधिकारी	1	0
पशु चिकित्सक	4	4
जिला अटार्नी	1	1
उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	1	1
पंजीयक	3	3
अधीक्षक ग्रेड-I	23	23
निजी सचिव	1	1
अधिशासी अभियन्ता	2	2
सहायक अभियन्ता	5	4
कलक्टर (वन)	3	3
तहसीलदार	3	1
कुल	**313**	**298**
राजपत्रित -II:		
वन-राजिक	296	225
अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	2	2
वन मानचित्र अधिकारी	1	1
साँख्यिकीविद्	1	0
नायब तहसीलदार	8	7
कुल	**308**	**235**
तृतीय श्रेणी:		
उप-वनराजिक	801	774
वन रक्षक	2583	2351
अधीक्षक ग्रेड -II	122	119
वरिष्ठ सहायक	224	211
कनिष्ठ सहायक/लिपिक	445	200
निजी सहायक	6	6

सीनियर स्केल स्टैनोफर	23	11
स्टैनो टाइपिस्ट	13	1
तकनीकी सहायक	1	1
सांख्यिकी सहायक	**3**	**2**
संगणक	**4**	**0**
कनिष्ठ अभियन्ता	7	7
मुख्य प्रारुपकार	13	13
कनिष्ठ प्रारुपकार	11	11
प्रारुपकार	9	2
सर्वेक्षक	5	2
डिमारकेशन दरोगा	1	0
कानूनगो	30	25
पटवारी	31	16
ड्राईवर	83	76
अन्य	39	28
जोड़	**4454**	**3856**
चतुर्थ श्रेणीः		
चपरासी/अन्य चतुर्थ	4209	3908
कुल जोड़	**9284**	**8297**

8. अधिकतम तथा लगातार उत्पादन के लिए क्षेत्र का प्रबन्धन

हाल के वर्षों में वनों का प्रबन्धन अधिक उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि वातावरण को प्रदूषण मुक्त तथा भूमि कटाव की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। अधिकांश वन क्षेत्रों का प्रबन्धन नियमित कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

9. वन निगम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन निगम की स्थापना 1 अप्रैल, 1974 को वनों से प्राप्त की जाने वाली वनोपज के निष्कासन हेतु की गई थी। वर्ष 2011-12 का विवरण निम्न प्रकार है :-

(क) बरोजा

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा विभागीय बरोजा निस्सारण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में 15,76,148 बरोजा के टक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को निस्सारण हेतु सौंपे गये। उपरोक्त सरकारी टकों के अतिरिक्त दूसरे निजी क्षेत्रों का बरोजा भी हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम खरीदती है। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश बरोजा एवं बरोजा उत्पाद (व्यापार विनियम) अधिनियम 1981, के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों से निकाला गया बरोजा भी राज्य वन निगम द्वारा खरीदा गया क्योंकि किसी भी निजी मालिक को हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को इसे बेचने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) ईमारती लकड़ी

प्रदेश में सरकारी वनों से लकड़ी के निष्कासन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। वर्ष 2011-12 में निगम को 1.46 लाख घन मीटर लकड़ी निस्सारण हेतु दी गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान 27 घनमीटर लकड़ी बर्तनदारों को बर्तनदारी दर पर प्रदान की गई।

10. वानिकी अनुसंधान

वर्ष के दौरान डॉ0 वाई0 एस0 परमार उद्यान एवम् वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन को वानिकी अनुसंधान हेतु जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 25.00 लाख रुपये

की सहायता अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया था जिसका भुगतान मार्च, 2012 तक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विभाग में एक अनुसंधान प्रबन्ध वृत, अनुसंधान कार्य कर रहा है। इसका मुख्य कार्य बीज प्रमाणिकता, बीज एकत्रीकरण तथा उसका भण्डारण, नर्सरी प्रयोग, पौधारोपण प्रयोग तथा वर्धन एवं उपज अध्ययन पर शोध कार्य करना है। इसके तहत् अनुसंधान के लिए वार्षिक लक्ष्य 2.50 लाख रुपये रखा गया था जिसे मार्च, 2012 तक व्यय कर लिया गया।

11. वन्य प्राणी संरक्षण

हिमाचल प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित वन्य प्राणी संरक्षण की निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं :-

1. वन्य प्राणी शरण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता।
2. वन्य प्राणी शरण्यों का गहन विकास।
3. पिन-वैली नेशनल पार्क का विकास।

इन योजनाओं पर वर्ष 2011-12 के दौरान 263.39 लाख रुपये खर्च किये गये। इसके अतिरिक्त राज्य सैक्टर के अन्तर्गत भी वन्य प्राणी संरक्षण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 375.01 लाख रुपये मार्च, 2012 तक खर्च किये गये। इसके अतिरिक्त डा0 वाई0 एस0 परमार उद्यानिकी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय को 25.00 लाख रुपये सहायता अनुदान राज्य सैक्टर की जनजातीय योजना के अन्तर्गत दिए गये।

12. प्रचार योजना

विभाग में किए जा रहे कार्यक्रमों के महत्व को विस्तारपूर्वक प्रचार वन मण्डल, शिमला द्वारा प्रचारित किया जाता है। प्रदेश के लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापन-गीतों, दृश्यों एवं श्रवण, इलैक्ट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियों, प्रकाशित सामाग्री तथा दूरदर्शन द्वारा वनों और उनके महत्व की जानकारी दी जाती है। इन गतिविधियों पर वर्ष के दौरान 9.22 लाख रुपये की धन राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 2 अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ भी संचालित की गईं। जिन पर 1.60 लाख रुपये खर्च किए गये।

13. सांझी वन योजना

प्रदेश में सांझी वन योजना वर्ष 1998 से आरम्भ की गई। इस योजना पर वर्ष 2011-12 में 20.18 लाख रुपये व्यय किए गए। यह योजना सामाजिक प्रक्रिया का एक परीक्षण है इसमें विभागीय प्रबन्धन प्रणाली से हटकर एक नया प्रयास किया जा रहा है। यह योजना सामुदायिक सहभागिता पर आधारित एक योजना है जिसमें गैर सरकारी संगठनों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत, महिला मण्डल, युवक मण्डल, स्कूल तथा ग्राम विकास समितियां भागीदार हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु इन संस्थाओं को मौलिक स्तर पर शामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त वनों के लिए पुनर्वास, समुदाय के हित के लिए सामाजिक सम्पति का सृजन करना, सामुदायिक सहभागिता के लिए सरकारी कर्मचारियों का पुनर्विन्यास करना, सामूहिक प्रबन्धन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा अधिक से अधिक निजी बंजर भूमि को वनों के अधीन लाने हेतु खर्च तथा लाभ में भागीदारी के आधार पर लोगों को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं। इस योजना में बाह्य सहायक एजैंसियों ने बहुत रूचि दिखाई है।

14. हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा

हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 3 अगस्त, 2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के आदेशानुसार की गई थी जिसमें निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया।

क. **शासी निकाय** : [सभापति : मुख्य मन्त्री, उप-सभापति : वन मन्त्री और सदस्य सचिव : प्रधान सचिव (वन)]

ख. **विषय निर्वाचन समिति** : [सभापति : मुख्य सचिव, हिमाचल सरकार और सदस्य सचिव : अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (सी0ए0टी0 प्लान)]

ग. **कार्यकारिणी समिति** : [अध्यक्ष : प्रधान मुख्य अरण्यपाल हि0 प्र0 और सदस्य सचिव : नोडल अधिकारी (सी0ए0एम0पी0ए0)]

केन्द्रीय तदर्थ कैम्पा में हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण प्रबन्ध, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना तथा वन्य प्राणी प्रबन्ध आदि कार्य करने हेतु उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा केन्द्रीय तदर्थ CAMPA में पैसा जमा करवाया जा रहा है तथा हि0 प्र0 STATE CAMPA को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कुल जमा राशि का 10% उपरोक्त कार्यों को करने हेतु दिया जा रहा है। ये कार्य भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना तथा FCA clearance की औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत ही किए जा रहे हैं। हि0 प्र0 की विषय निर्वाचन समिति द्वारा वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना के लिए 57.26 करोड़ रुपये निम्नलिखित गतिविधियों हेतु स्वीकृत किए गये हैं।

1. शुद्ध वर्तमान मूल्य -		22.41 करोड़
2. जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना -		17.88 करोड़
3. प्रतिपूरक वनीकरण -		5.32 करोड़
4. वन्य प्राणी प्रबन्धन योजना -		6.95 करोड़
5. रिम प्लानटेशन -		4.52 करोड़
6. भू एवं जल संरक्षण -		0.18 करोड़

15. हिमाचल प्रदेश में भागीदारी वन प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश में भागीदारी वन प्रबन्धन का कार्यान्वयन भारतीय वन नीति 1988 की सिफारिशों तथा इसके उपरान्त वर्ष 1990 में प्राकृतिक वन प्रबन्धन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 में अधिसूचना जारी करके किया।

इसके अन्तर्गत प्रदेश वन विभाग में वन मण्डलाधिकारियों के स्तर पर 1562 संयुक्त वन विकास समितियों का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से मुख्यालय स्तर पर हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास एजेंसी गठित की गई जिसके माध्यम से भारत सरकार प्रदेश की संयुक्त वन विकास समितियों को वानिकी कार्यक्रम में धन उपलब्ध करवा रही है।

वर्ष 2011-12 के लिए भारत सरकार ने 753.14 लाख रूपये का प्रावधान रखा था जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 348.82 लाख रूपये उपलब्ध करवाये गये जिसमें से 325.41 लाख रूपये खर्च किये गये।

16. वन आग प्रबन्ध

वनों को आग से बचाने हेतु वर्ष 2011-12 में 446 संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों को चिह्नित कर वनों की आग से सुरक्षा हेतु शामिल किया गया। इन समितियों से आग निकासी लाईनों, आग पर नियन्त्रण के उपायों आदि को हर वर्ष जनवरी व फरवरी तक भुगतान के आधार पर करवाया जाता है। आग न लगने की स्थिति में भी इन समितियों को मौद्रिक प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वनों की आग से सुरक्षा करने हेतु कुल मिलाकर 120 आग नियन्त्रण कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष के दौरान आग की 168 घटनाओं में लगभग 1758.15 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ।

17. अन्य विकास योजनायें

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों व योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में निम्नलिखित वानिकी विकास योजनायें भी कार्यान्वित की जा रही हैं :-

1. वनों का सर्वेक्षण तथा सीमांकन।
2. वनों की सुरक्षा।
3. चरागाह विकास।
4. कार्ययोजना संगठन।
5. शटल और बॉबिन फैक्टरी।
6. भवन निर्माण योजनाएं।
7. सड़कों तथा रास्तों की निर्माण योजनाएं।
8. भवनों तथा सड़कों/रास्तों की मरम्मत।
9. निर्देशन एवं प्रशासन इत्यादि।

18. सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 (RTI Act-2005) के अनुच्छेद 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 मदों में वांछित सूचना वन विभाग की वैबसाईट www.hpforest.nic.in पर उपलब्ध है। इस सूचना को समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है।

वर्ष 2011-12 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर 2406-वन तथा 2402-भू-संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का ब्योरा संलग्न परिशिष्ट -'क' में दिया गया है।

परिशिष्ट - 'क'

वर्ष 2011-12 के दौरान भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियाँ

प्रांतीय योजनाएँ

क. गैर जन-जातीय

वानिकी क्षेत्र

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	निर्देशन और प्रशासन	स्थापना व्यय तथा विभिन्न कार्य	-	-	894.23
2.	सम्पर्क मार्ग एवम् भवन	(क) मार्ग निर्माण (ख) भवन निर्माण (ग) भवन तथा मार्ग मरम्मत	कि0मी0 संख्या -	कार्य प्रगति पर -यथोपरि- -	30.00 148.00 85.00
3.	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	वनों का सीमांकन	-	-	6.12

4.	कार्ययोजना संगठन	कार्ययोजना बनाना	-	-	0
5.	वन सुरक्षा	वन सुरक्षा	श्रम दिवस	-	39.85
6.	चरागाह विकास	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	80	20.00
7.	शटल एवम् बॉबिन फैक्टरी	-	-	-	5.00
8.	सांझी वन योजना	विभिन्न कार्य	-	-	12.18
9.	मज़दूरों व कर्मचारियों को सुख-सुविधाएं	सुविधाएं	-	-	5.00
10.	तेरहवें वित्त आयोग के तहत संरक्षण और प्रबन्धन कार्य	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	1366	1144.89
11.	मध्य हिमालयन जल प्रवाह परियोजना	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	629	5492.86
12.	वानिकी अनुसन्धान योजना	विभिन्न कार्य	-	-	2.50
13.	स्वां नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	3083	3500.00
14.	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (बी.ए. एस.पी.)	विभिन्न कार्य	-	-	46.02
जोड़					**11431.65**

वन्य प्राणी क्षेत्र

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	वन्य प्राणी परिरक्षण	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	–	–	119.20
2.	हिमालयन वन्य-प्राणी उद्यान का विकास	विभिन्न कार्य	–	–	62.01
3.	एच.पी.जैड.सी.बी.एस. को अनुदान	विभिन्न कार्य	–	–	135.00
4.	प्राणी उद्यान के तहत भवन	विभिन्न कार्य	–	–	8.80
	योग				**325.01**
	कुल जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी गैर जनजातीय योजनाएं				**11756.66**

ख. जन-जातीय योजना

वानिकी क्षेत्र

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	सम्पर्क मार्ग एवम् भवन	1.भवन निर्माण 2.सड़क निर्माण	सं0 कि0मी0	– –	133.11 133.83
2.	सांझी वन योजना	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	26	8.00
3.	चिलगोज़ा पुनर्जनन	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	11	4.67
4.	तेरहवें वित्त आयोग के तहत संरक्षण और	पौधारोपण/	हे0	145	113.00

	प्रबन्धन कार्य	अन्य कार्य			
5.	वानिकी कार्यक्रम	विभिन्न कार्य	–	–	76.67
6.	चरागाह विकास	पौधारोपण	हे0	38	0
7.	वृक्षावरण सुधार/नर्सरियों की स्थापना	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	481	271.16
कुल जोड़ जन-जातीय					**740.44**

वन्य प्राणी क्षेत्र

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	पिन वैली नेशनल पार्क का विकास	विभिन्न कार्य	–	–	5.00
2.	वन्य प्राणी शरण्यों का गहन प्रबन्ध	विभिन्न कार्य	–	–	32.00
3.	वन्य प्राणी शरण्यों का विकास और सुधार	विभिन्न कार्य	–	–	13.00
जोड़ वन्य प्राणी					**50.00**

डॉ0 वाई0 एस0 परमार उद्यानिकी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान/योग (जनजातीय)	अनुदान	–	–	**25.00**
कुल जोड़ जनजातीय (वानिकी, वन्य प्राणी तथा विश्व-विद्यालय अनुदान)				**815.44**

ग. भू-संरक्षण योजनाएं (गैर-जनजातीय)

1.	सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवम् प्रदर्शन	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	354	109.92
2.	राज्य सरकार के प्रयासों से कृषि पूरक वृहद् प्रबन्धन (Macro Management of Agriculture)	विभिन्न कार्य	–	–	60.00
जोड़ प्रान्तीय योजनायें (गैर जन-जातीय)					**169.92**

घ. भू-संरक्षण (जनजातीय)

1.	सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन /योग	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	211	**77.20**
कुल जोड़ भू-संरक्षण गैर जन-जातीय तथा जन-जातीय योजनाएं					**247.12**
कुल जोड़ प्रांतीय वानिकी, वन्य प्राणी, भू-संरक्षण एवं विश्वविद्यालय सहायता अनुदान (गैर जन-जातीय तथा जन-जातीय योजनाएं)					**12819.22**

<u>केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं</u>

क. वानिकी क्षेत्र (गैर जन-जातीय)

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	एकीकृत वन संरक्षण योजना	विभिन्न कार्य	–	–	345.59
	जोड़ वानिकी क्षेत्र (गैर जन-जातीय)				**345.59**

ख. वन्य प्राणी (गैर जन-जातीय)

1.	वन्य प्राणी शरण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता	विभिन्न कार्य	-	-	157.91
	जोड़ वन्य प्राणी (गैर जन-जातीय)				**157.91**
जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी (गैर जन-जातीय)					**503.50**

ग. वन्य प्राणी (जन-जातीय)

1.	वन्य प्राणी शरण्यों का गहन विकास	स्थापना एवम् अन्य व्यय	-	-	99.08
2.	पिन-वैली नैशनल पार्क का विकास	स्थापना एवम् अन्य व्यय	-	-	6.40
	जोड़ जनजातीय वन्य प्राणी				**105.48**

घ. भू-संरक्षण (गैर जन-जातीय)

1.	राज्य सरकार के प्रयत्नों से कृषि पूरक वृहद प्रबन्धन (Macro Management of Agriculture)	स्थापना व्यय एवं उपकरणों पर व्यय	-	-	444.52
	जोड़ भू-संरक्षण (गैर जन-जातीय)				**444.52**
कुल जोड़ केन्द्रीय वानिकी, वन्य प्राणी तथा भू-संरक्षण (गैर जन-जातीय तथा जन जातीय योजनाएं)					**1053.50**
कुल जोड़ प्रांतीय तथा केन्द्रीय योजनाएं हि0 प्र0।					**13872.72**

*****